

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
23.10.2021	<p>पत्रावली वारते आदेश प्रारम्भिक आपत्ति पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपरिथत।</p> <p>वकील रैस्पो0 का तर्क रहा है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के आदेश दिनांक 02.07.2015 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम पेशी दिनांक 30.07.2015 तक अपीलान्ट को रैस्पो0 की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप ना करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त आदेश एक अन्तरिम आदेश है, ना कि अन्तिम आदेश एवं नियमानुसार अन्तरिम आदेश, अपील योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलान्ट मैन्टेनेबिल ना होने के कारण इसी स्तर पर खारिज फरमायी जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर 2014(1) आरआरटी 409 का उद्धरण पेश किया।</p> <p>अपीलान्ट के अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2015 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। यह अपील न्यायालय श्रीमान् में मैन्टेनेबिल है। इसलिये आपत्ति रैस्पो0 खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2015 का अभी तक न्यायालय तहत द्वारा दोनों पक्षों की सुनवायी कर निर्णित नहीं किया गया है। इसलिये आदेश को आज भी प्रभावी होना माना जावेगा। इसलिये प्रारम्भिक आपत्ति निरर्थक एवं निरस्तनीय है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश अन्तरिम आदेश नहीं है इस स्टेज पर अन्तिम है जिसके विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् में यह अपील पूर्णतया वैध प्रस्तुत की गयी है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2010(2) पेज 744 का उद्धरण पेश करते हुये, प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रैस्पो0 अपीलाधीन आदेश को अन्तरिम आदेश बताते हुये, अपील योग्य नहीं होना कथन करते हैं। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया। वकील रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उनके पक्ष को कमजोर करते हुये, अपीलान्ट के पक्ष को अधिक मजबूत करती है। न्यायिक नजीर 2014(1) आरआरटी 409 के पैरा संख्या 49 व 50 में Venkatasubbiah Naidu Vs. S. Ahallappan & Ors 2000(3) के फ़ैसले को संदर्भित करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:-</p> <p>Under the normal circumstances the aggrieved party can prefer an appeal only against an order passed under Rule 1,2, 2-A, 4 or 10 of Order 39 of the code in terms of Order 43 Rule 1 of the code. He cannot approach the appellate or revisional Court during the pendency of the application for grant or vacation of temporary injunction. In such circumstances the party who does not get justice due to the inaction of the Court in following the mandate of law must have a remedy. in a case where the mandate of Order 39 Rule 3-A of the Code is flouted, the aggrieved party, shall be entitled to the right of appeal notwithstanding the pendency of the application for grant or vacation of a temporary injunction, against the order remaining in force.</p> <p>Failure to decide the application or vacate the ex party temporary injunction shall, for the purposes of the appeal, be deemed to be the final order passed in the application for temporary injunction. on the date of expiry of thirty days mentioned in the Rule.</p> <p>an ex-parte order granting temporary injunction under Section</p>	

ओखिलेश कुमार पिपल
अपील प्राधिकारी


212 of the Act, in normal circumstances, is not appealable under Section 225 of the said Act, but if the Court granting such an ex-parte temporary injunction fails to perform its mandatory duty as provided in Rule 3 and 3A of Order 39 of the Code, then the aggrieved party who is deprived of justice due to inaction of the Court shall be entitled to right of appeal against an ex-parte or ad-interim ex-parte order granting temporary injunction.

न्यायिक व्यवस्था का सुरथापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2015 को अन्तरिम एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है। उक्त आदेश की अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2015 को एक माह पश्चात् दर्ज रजिस्टर हुयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदिनांक 22.10.2021 तक प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अन्तिम तौर पर निस्तारित नहीं किया गया है। जिसे न्याय की दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तथ्यो एवं न्यायिक दृष्टान्त की पृष्ठभूमि में, हम अपील अपीलाण्ट संधारणीय योग्य पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2015 यथावत रहेगा। तय समय सीमा के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2015 स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


22-10-2021
(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर